[2019] 3 एस सी आर 310

महाराष्ट्र राज्य

बनाम

सुरेंद्र पुंडलिक गैडलिंग और अन्य ।

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 264)

फरवरी 13, 2019

[न्यायमूर्तिगण रंजन गोगोई, सीजेआई, एल. नागेश्वर राव और

संजय किशन कौल]

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 – s.43D (2) (b),

परंतुक–प्रत्यर्थियों/निरोधित व्यक्तियों के लिए परंतुक की आवश्यकता को पूरा न करने की याचिका के आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए दावा। 43 डी (2) (बी)–प्रस्तुत मामले में, अवधि के विस्तार के लिए आवेदन आई. ओ. द्वारा जाँच दायर की गई थी–उसी दिन उसके द्वारा एस. 43 (डी) के तहत एक और आवेदन दायर किया गया था। आगे की जांच के लिए अवधि बढ़ाने और उक्त अपराध में आरोप पत्र दायर करने के लिए विस्तार से आधारों की गणना और लोक अभियोजक द्वारा हस्ताक्षरित–आवेदन में किए गए अनुरोध को मंजूरी दे दी गई थी । पीड़ित, प्रत्यर्थियों ने उक्त आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी – उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि लोक अभियोजक ने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया है । और s.43 डी.2 (बी) के आज्ञापक प्रावधान का पालन नहीं किया है ।

अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः पहले दस्तावेज़ में, अन्वेषण की अवधि की गणना अवधि किन्तु द्वितीय आवेदन में अन्वेषण की अवधि को बढ़ाने हेतु आधार दर्शाया गया है । द्वितीय आवेदन को प्रथम आवेदन की मात्र पुनरावृत्ति नहीं कहा जा सकता ।

आधारों के अवलोकन से पता चला कि आरोप यह था कि सभी प्रतिवादी प्रतिबंधित संगठन के सक्रिय सदस्य थे और जांच के दौरान, जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एफएसएल, मुंबई को उसकी रिपोर्ट के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट अप्राप्त है । डेटा को विशालकाय बताते हुए आगे की जांच की गई थी। अभियुक्त व्यक्तियों के वित्तपोषण के लिए भी आवश्यक–आपराधिक साजिश कई शहरों में फैली हुई बताई गई थी, जिसकी आगे की जांच की आवश्यकता थी–इसके अलावा, उत्तरदाताओं और अन्य 'फरार और भूमिगत अभियुक्त व्यक्तियों' के बीच टेलीफोन पर परस्पर संबंध को भी विस्तार की मांग के आधार के रूप में निर्धारित किया गया था–इस दस्तावेज़ में निर्धारित सामग्री को पूरा किया गया

परंतुक की आवश्यकताओं के साथ, जहां तक जांच की अवधि के लिए विस्तार की मांग करने के कारणों का संबंध था–इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि लोक अभियोजक द्वारा बुद्धि का उपयोग पूरी तरह से नहीं किया गया था–क्योंकि दो दस्तावेजों की तुलना के अनुसार, लोक अभियोजक द्वारा आवेदन का समर्थन किया गया था, फॉर्म में दुर्बलताएं उत्तरदाताओं को डिफ़ॉल्ट जमानत का लाभ उठाने का अधिकार नहीं देंगी । उच्च न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया गया ।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिमत दिया, क्या धारा 43 डी. 2(बी) के तहत प्रस्तुत आवेदन में उक्त धारा के तहत आवश्यक सामग्री प्रस्तुत की गई थी–

1. उक्त अधिनियम की धारा 43 डी (2) (बी) के प्रावधान के अवलोकन से पता चलता है कि कुछ आवश्यकताएं हैं जिन्हें इस आवेदन की आवश्यकता हेतु पूरा किया जाना चाहिए । ये निम्नानुसार हैं: 90 दिनों की अवधि के भीतर जांच पूरी करना संभव नहीं हुआ है। लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट जांच की प्रगति का संकेत देने वाली रिपोर्ट और विशिष्ट कारण अभियुक्त को 90 दिनों की अवधि से अधिक समय तक हिरासत में रखने का दर्शाना चाहिए और लोक अभियोजक की रिपोर्ट के संबंध में न्यायालय की संतुष्टि होना चाहिए । जिस दस्तावेज़ को लोक अभियोजक की रिपोर्ट माना जाता है, वह मामले में उक्त अधिनियम की धारा 43 डी के तहत एक आवेदन के रूप में है। दस्तावेज़ की सामग्री के अवलोकन से पता चलता है कि जांच में विकास और प्रगति निर्धारित की गई है। घटना की ओर ले जाने वाले घटनाक्रमों को भी इस तरह से निर्धारित किया गया है। आधारों के अवलोकन से पता चलता है कि आरोप यह है कि सभी प्रतिवादी प्रतिबंधित संगठन, भाकपा (माओवादी) के सक्रिय सदस्य हैं। जाँच के दौरान, दस्तावेज़, पेन ड्राइव, सी. डी., डी. वी. डी. आदि जब्त कर लिए गए और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एफ. एस. एल., मुंबई को इसकी रिपोर्ट के लिए भेजा गया, जिसका अभी भी इंतजार था। डेटा को विशाल बताया गया था और आरोपी व्यक्तियों के वित्तपोषण के लिए आगे की जांच की भी आवश्यकता थी। आपराधिक साजिश कई शहरों में फैली हुई बताई गई थी, जिसकी आगे की जांच और वित्तीय विवरण की आवश्यकता थी। उत्तरदाताओं का अभी भी पता लगाया जा रहा था। इसके अलावा, जांच उक्त अधिनियम में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अभियोजन की मंजूरी मांगी गई है। [पारस 15–16] [318–G–H; 319–A–E]

2. लोक अभियोजक की रिपोर्ट होने वाले दस्तावेज़ का विश्लेषण:

प्रारंभ में, 30.8.2018 पर, आई. ओ. द्वारा लोक अभियोजक के माध्यम से एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 90 दिनों की अधिक अवधि के विस्तार के कारणों को दर्शाये होते, अवधि विस्तार की मांग की गई थी ।

अपीलार्थी के लिए निवेदन यह है कि इस मुद्दे पर अधिक गहराई से विचार किया जा रहा है जिस दिन लोक अभियोजक द्वारा एक दूसरा दस्तावेज दाखिल किया गया था, जो वास्तव में उक्त अधिनियम की धारा 43 डी के प्रावधानों के संदर्भ में लोक अभियोजक की रिपोर्ट है। इस दस्तावेज़ का

सूक्ष्म अवलोकन से पता चलता है कि महाराष्ट्र राज्य ने सहायक पुलिस आयुक्त के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया लेकिन विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार यह केवल उनकी प्रस्तुति का विवरण है। दस्तावेज़ दर्शाता है कि यह "अधिनियम की धारा 43 डी के तहत अतिरिक्त विवेचना हेतु 90 दिन अवधि के विस्तार हेतु आवेदन है ।

तथ्य यह है कि लोक अभियोजक ने आवेदन के अंत में विधिवत अपने हस्ताक्षर संलग्न किए थे, और यह तथ्य कि पहले के आवेदन से दूसरे आवेदन में परिवर्तन हुए थे, यह दर्शाता है, जैसा कि तर्क दिया गया है, कि लोक अभियोजक के दिमाग का उपयोग किया गया है, जो कि वास्तविक अनिवार्य शर्त है लोक अभियोजक द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट। [पारस 19,22] [320–ए–डी; 322–एफ–जी]

हितेंद्र विष्णु ठाकुर और अन्य वि. महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (1994) 4 एससीसी 602: [1994] 1 पूरक। एससीआर 360 ; संजय कुमार केडिया उर्फ संजय केडिया बनाम।

खुफिया अधिकारी, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो

& एन. आर. (2009) 17 एससीसी 631: [2010] 1 एससीआर 555

पर भरोसा किया।

3. पहला दस्तावेज़, जिसका अनुप्रयोग ।.0 द्वारा जांच की अवधि को विस्तारित करने के कारण शामिल थे, लेकिन दूसरे दस्तावेज़ में विस्तार से आधारों का विवरण दिया गया है और इसे पहले दस्तावेज़ में जो कहा गया है उसका केवल पुनरावृत्ति नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि लोक अभियोजक द्वारा विवेक के प्रयोग का पूर्ण अभाव रहा है। आवेदन के रूप में दूसरा दस्तावेज उसी दिन दाखिल किया गया है। ऐसा नहीं है कि पहला दस्तावेज़, जो आई. ओ. का एक आवेदन है, दूसरा दस्तावेज़ दाखिल करने के लिए वापस ले लिया गया था, जो लोक अभियोजक की रिपोर्ट होने का तात्पर्य है। यह पहले दस्तावेज़ के विश्लेषण पर है कि दूसरा दस्तावेज़ दायर किया गया है, हालांकि दोनों में लोक अभियोजक का समर्थन है। दूसरे आवेदन में जांच की प्रगति और प्रत्युत्तर का उल्लेख किया गया है।

यह स्पष्ट करता है कि लोक अभियोजक को इन कागजातों की जांच करने का लाभ मिला था। दूसरे दस्तावेज़ में अतिरिक्त और विस्तारित आधार दिए गए हैं। लोक अभियोजक के पास समय बढ़ाने की मांग के लिए आई. ओ. द्वारा दिए गए कारणों से सहमत या असहमत होने का विकल्प होता है, लेकिन इस मामले के तथ्यों में, आवेदन के रूप में दूसरा दस्तावेज पहले दस्तावेज की जांच दिखाता है और उसके बाद आधार और विस्तारित कारणों का विवरण देता है। जांच पूरी करने के लिए और समय की आवश्यकता के लिए। [पैरा 36,37,39] [327–बी–ई; 328–ए–बी]

मामला कानून संदर्भ–

[1994] 1 पूरक। एससीआर 360 उस पर भरोसा करें पैरा 24

[2010] 1 एससीआर 555 उस पर भरोसा करें पैरा 30

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील 2019 का सं. 264।

2018 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 4148 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 24.10.2018 से।

विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., मुकुल रोहतगी, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, आनंद ग्रोवर, राजू रामचंद्रन, सुश्री इंदिरा जयसिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, अनूप कंदारी,

सुश्री दीपा कुलकर्णी, निहालसिंह राठौड़, जगदीश मेशराम, अमित भंडारी, अनिल अदेलकर, आकाश कामरा, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, सुश्री उत्तरा बब्बर, दामोदर सोलंकी, बी. वी. बलराम दास, बरुण कुमार, के. वी. मुथु कुमार, सुश्री ए. महाजन, सुश्री तृप्ति टंडन, अनिरुद्ध ए., आकर्ष कामरा, एस. गौतममन, पारस नाथ सिंह, सुश्री नेहमत कौर, सुश्री नूपुर कुमार, सुनील फर्नांडीस, सुश्री प्रियांश, शादन फरासत, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, द्वारा दिया गया था, अनुमति दी गई।

2. प्रतिवादियों/बंदियों ने डिफ़ॉल्ट जमानत का दावा गैरकानूनी गतिविधियों की धारा 43 डी के प्रावधानों के तहत नब्बे (90) दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर करने में अपीलार्थी/राज्य की विफलता पर किया । गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (इसके बाद 'उक्त अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और नब्बे (90) और दिनों की अवधि के लिए जांच को पूरा करने के लिए विस्तार की मांग करने के लिए, इस तरह से जो धारा 43 डी की उप–धारा (2) (बी) के परंतुक की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था।

उत्तरार्द्ध विवाद का एक मुद्दा बन गया है क्योंकि यह तर्क दिया गया है कि राज्य सरकार के प्रयास को नब्बे (90) दिनों की अवधि से आगे निरोध के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए 'लोक अभियोजक की रिपोर्ट' प्रस्तुत करने का संकेत नहीं कहा जा सकता है।

3. तुषार रमेश दामगुडे नामक व्यक्ति द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 153–ए, 505 (1) (बी), 117 और 34 के तहत विश्रामबाग पुलिस स्टेशन, पुणे में एफ. आई. आर. दर्ज किया गया था, जिसमें शनिवारवाड़ा, पुणे में हुई एक घटना की रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि दिनांक 31–12–2017 के अपराह्न 2.00 बजे और 10 बजे के बीच शनिवारवाड़ा, पुणे में 'कबीर कला मंच' के सदस्यों ने 'भीमा कोरेगांव शौर्यदिन प्रेरणा अभियान' शीर्षक के तहत एल्गार परिषद की एक बैठक आयोजित की, जिसमें भाकपा (माओवादी) के सक्रिय सदस्यों ने कथित तौर पर भड़काऊ नारे लगाए और कुछ अन्य संबद्ध गतिविधियों में शामिल हुए, जिसका उद्देश्य हिंसक साधनों का उपयोग करके आतंकवादी कृत्यों और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों की साजिश रचना, उकसाना और बढ़ावा देना था।

विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी, जो अंततः भीमा कोरेगांव के नाम से लोकप्रिय एक स्थान पर हिंसक दंगों के टूटने में समाप्त हुई, जहां लोगों की एक बड़ी आबादी भीमा कोरेगांव में लड़ाई की 200 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एकत्र हुई थी। जाँच की प्रक्रिया में, पुलिस ने आरोप लगाया कि अभियुक्त व्यक्ति, अन्य अभियुक्तों के साथ महाराष्ट्र राज्य बनाम के सक्रिय सदस्य हैं।

सुरेंद्र पुंडलिक गैडलिंग और ओआरएस। [संजय किशन कौल, जे।]

जब्ती अभियान चलाया गया, तो उत्तरदाताओं के पास नक्सल साहित्य, पर्चे, पत्र, पत्राचार, ऑडियो–वीडियो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामग्री पाई गई, जिन पर आरोप लगाया गया था लोगों को उकसाने, हिंसा पैदा करने और सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के लिए उपयोग किया जाना। कुछ उत्तरदाताओं को अवैध गतिविधि के वित्तपोषक भी कहा गया था और यह भी आरोप लगाया गया था कि एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के छात्रों को भूमिगत माओवादियों से मिलने और उन्हें उपदेश देने और प्रशिक्षित करने के लिए माओवादी गुरिल्ला के कब्जे वाले वन क्षेत्र में ले जाया गया था। पूरा मामला इस प्रयास पर एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास होने का आरोप लगाया गया था जो अल्पसंख्यक समूहों को भारत संघ और महाराष्ट्र राज्य के खिलाफ प्रेरित करेगा और सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करेगा, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों को बदनाम करना है।

सामग्री में पाया गया कि उक्त अधिनियम की धारा 13, 16, 17, 18, 18 बी, 20, 38, 39 और 40 के साथ आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत अपराधों को आरोपों में जोड़ा गया। प्रारंभिक पुलिस अभिरक्षा के बाद, प्रतिवादियों की न्यायिक अभिरक्षा, जांच पूरी करने के लिए, 90 दिनों की अवधि के लिए मांगी गई थी।

उक्त अवधि 3.9.2018 पर समाप्त हुई। उक्त अधिनियम की धारा 43 डी (2) (बी) के प्रावधान को और 90 दिनों के लिए हिरासत बढ़ाने की मांग के लिए प्रयोग में लाया गया था। प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैः

"संहिता के " 43 डी. के कुछ प्रावधानों का संशोधित अनुप्रयोग

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

(2) संहिता की धारा 167 इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध से जुड़े मामले के संबंध में संशोधन के अधीन लागू होगी।

कि उप–धारा (2) में –

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

(ख) परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़े जाएंगेः

अर्थात्ः

" बशर्ते कि यदि पूरा नब्बे दिनों की उक्त अवधि के भीतर जाँचपूरा करना संभव न हो, यदि न्यायालय लोक अभियोजक की जाँच की प्रगति और नब्बे दिनों की उक्त अवधि से आगे अभियुक्त को हिरासत में रखने के विशिष्ट कारणों का संकेत देने वाली रिपोर्ट से संतुष्ट है, तो उक्त अवधि को एक सौ अस्सी दिनों तक बढ़ा सकता हैः

5. जाँच अधिकारी डॉ. शिवाजी पंडितराव पवार द्वारा 30.8.2018 को कथित रूप से एक आवेदन जिला सरकारी प्लीडर, शिवाजीनगर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था जिसमें समय बढ़ाने के कारण निर्धारित किए गए अर्थात, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संबंध में एफएसएल से कुछ छवियों की प्राप्ति न होना, विश्लेषण के लिए अधिक समय की आवश्यकता वाले बड़े पैमाने पर डेटा एकत्र करना, अभियुक्त का बैंक विवरण और कुछ अन्य विवरण प्राप्त नहीं किया जाना, दस्तावेजों की आपत्तिजनक सामग्री के बारे में आगे की जांच की आवश्यकता और पत्राचार जब्त किया गया, धन के बारे में जांच के लिए और समय की आवश्यकता है, यह भी जांच करने के लिए और समय की आवश्यकता है कि क्या कुछ अन्य आरोपी आदि थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एहसास था कि आवेदन समय बढ़ाने की मांग के लिए कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है।

जाँच के लिए और इस प्रकार, उसी दिन, एक और आवेदन प्रस्तुत किया गया था। आवेदन के शीर्षक से पता चलता है कि यह महाराष्ट्र राज्य द्वारा (सहायक पुलिस आयुक्त, स्वारगेट डिवीजन, पुणे शहर के माध्यम से) प्रस्तुत किया गया था। दस्तावेज़ के अवलोकन से पता चलता है कि यह उक्त अधिनियम की धारा 43 डी के तहत एक आवेदन है।

उक्त अपराध में आगे की जाँच और आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की अवधि का विस्तार। के आधारों को विस्तार से निर्धारित किया गया है।

आवेदन के अंत में, यह कहा गया है कि यह आवेदक द्वारा दायर किया गया है, और बाईं ओर लिखा है "श्रीमती उज्ज्वला एस. पवार, जिला अभियोजन प्लीडर & पब्लिक प्रासिक्यूटर तथा हस्ताक्षर किया गया ।

6. अभियुक्तों के संबंध में निम्नलिखित दर्ज किया गया था, "हालाँकि, अभियुक्त व्यक्तियों और उनके वकीलों ने कहा कि वे कुछ भी प्रस्तुत करने को तैयार नहीं हैं।" केस डायरी का अध्ययन किया गया था और प्रथम दृष्टया कहा जाता है कि इसने इलेक्ट्रॉनिक रूप में भारी मात्रा में डेटा के संग्रह का खुलासा किया है, जिनमें से कुछ ने अपराध के कथित अपराध में प्रतिवादियों की संलिप्तता को

दिखाया है। यह देखा गया कि इस तरह के रिकॉर्ड को एफएसएल को भेजा गया था और रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही थी। कुछ कागज़ात आई. ओ. द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के छात्रों को आरोपी महेश राव भूमिगत नक्सलवादी से मिलने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए माओवादी गुरिल्ला के एक वन क्षेत्र में ले गए थे। चूँकि जाँच जारी थी और एक महत्वपूर्ण चरण में थी, और वहाँ था, जाँच में निश्चित प्रगति होने पर जाँच की अवधि 90 दिनों से आगे 180 दिनों तक बढ़ा दी गई।

7. उपरोक्त आक्षेपित आदेश दिनांकित 24–10–2018 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी।

प्रत्यर्थियों की दलीलों को बंबई उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश का समर्थन प्राप्त हुआ क्योंकि अभिलेखों के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि लोक अभियोजक को अपने बुद्धि का उपयोग करने वाला नहीं कहा जा सकता था और इस प्रकार, उक्त अधिनियम की धारा 43 डी की उप–धारा (2) के खंड (बी) के परंतुक एकरुपता होने की अनिवार्य आवश्यकता नहीं थी।

8. उक्त आदेश से व्यथित होकर, महाराष्ट्र राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष दो एसएलपी को प्रस्तुत की, जिसमें नोटिस जारी किया गया था और आदेश दिनांक 29.10.2018 पर रोक लगा दी गई थी।

9. उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में, एकमात्र प्रश्न जो विचार के लिए उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या 30.8.2018 पर प्रस्तुत आवेदन,

उक्त अधिनियम की धारा 43 डी (2) (बी) के परंतुक के तहत, उस प्रावधान द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप है, जैसा कि इस न्यायालय के निर्णयों में प्रतिपादित किया गया है।

10. राज्य सरकार/अपीलार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी ने अग्रिम निवेदन दिया, जबकि डॉ. ए. एम. सिंघवी, सुश्री इंदिरा जयसिंह और श्री आनंद ग्रोवर, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने प्रतिवादियों के मामले को आगे बढ़ाया।

11. हम विभिन्न पहलओं के तहत विवाद का दायरा निर्धारित कर रहे हैं जो मुख्यतः

12. प्रतिवादियों और उपस्थित प्रतिवादियों के वकील ने निचली अदालत के समक्ष प्रस्तुतियाँ देने से इनकार कर दिया। यह प्रस्तुत किया गया था कि ऐसे परिदृश्य में, इन उत्तरदाताओं द्वारा दायर एक रिट याचिका पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए थी।

13. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि मामला उतना सरल नहीं था जितना बनाया जाना चाहिए था, अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा संक्षेप में, यह अनुरोध किया गया था कि मामला प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था, क्योंकि विशेष न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए जाने के अगले ही दिन दिनांक 31–08–2018 प्रत्यर्थियों का मामला प्रस्तुत किया गया था, उत्तरदाताओं को 1.9.2018 पर पेश किया गया, जब उन्हें आवेदन की प्रतियां दी गईं। वकीलों के बारे में कहा गया था कि वे शुरू में 1.9.2018 पर उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि यह शनिवार था। 3.9.2018 (सोमवार) तक स्थगन के लिए अनुरोध किया गया था, जो निर्विवाद रूप से अंतिम दिन था, लेकिन उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था और मामले को 2.9.2018 पर सूचीबद्ध किया गया था। कुछ अन्य आरोप भी लगाए गए हैं।

14. क्या प्रस्तुत आवेदन में उक्त अधिनियम की धारा 43 डी (2) (बी) के परंतुक के आवश्यक तत्व निर्धारित किए गए थे ।

15. उक्त अधिनियम की धारा 43 डी (2) (बी) के प्रावधान के अवलोकन से पता चलता है कि इस प्रावधान के उचित प्रयोग हेतु कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता है, ये निम्नानुसार हैंः

ए– 90 दिनों की अवधि के भीतर जांच पूरी करना संभव नहीं हुआ है ।

बी– लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट।

सी– उक्त रिपोर्ट जांच की प्रगति और 90 दिनों की अवधि से अधिक समय तक अभियुक्त को हिरासत में रखने के विशिष्ट कारणों का संकेत देती है।

डी– लोक अभियोजक की रिपोर्ट के संबंध में न्यायालय की संतुष्टि

16. जिस दस्तावेज़ को लोक अभियोजक की रिपोर्ट माना जाता है, वह हमारे समक्ष मामले में उक्त अधिनियम की धारा 43 डी के तहत एक आवेदन के रूप में है। दस्तावेज़ की सामग्री के अवलोकन से पता चलता है कि जांच में विकास और प्रगति निर्धारित की गई है। घटना की ओर ले जाने वाले घटनाक्रमों को भी इस तरह से निर्धारित किया गया है। आधारों के अवलोकन से पता चलता है कि आरोप यह है कि सभी प्रतिवादी प्रतिबंधित संगठन, भाकपा के सक्रिय सदस्य हैं। (माओवादी)। जाँच के दौरान, दस्तावेज़, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, आदि जब्त कर लिया गया और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एफएसएल, मुंबई को इसकी रिपोर्ट के लिए भेजा गया, जिसका अभी भी इंतजार था। डेटा को बताया गया था और आरोपी व्यक्तियों के वित्तपोषण में आगे की जांच की भी आवश्यकता थी। आपराधिक साजिश कई शहरों में फैली हुई बताई गई थी, जिसकी आगे की जांच की आवश्यकता थी, और उत्तरदाताओं के वित्तीय विवरण का अभी भी पता लगाया जा रहा था। इसके अलावा, उत्तरदाताओं और अन्य 'फरार और भूमिगत अभियुक्त व्यक्तियों' के बीच टेलीफोन पर परस्पर संबंध की जांच और युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के प्रयास को भी विस्तार की मांग के आधार के रूप में निर्धारित किया

गया था। यह भी निर्धारित किया गया था कि जांच पूरी होने पर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अभियोजन की मंजूरी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 45 के तहत अनुमति मांगी जाती है।

17. हम प्रत्यर्थियों की ओर से दी गई याचिका को स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि दस्तावेज़ में दी गई सामग्री परंतुक की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, जहां तक जांच की अवधि के विस्तार के कारणों का संबंध है ।

18. हालाँकि, वर्तमान मामले में, हमारे द्वारा निपटा जाने वाला परेशानी भरा पहलू यह है कि क्या प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ को स्वयं वह कहा जा सकता है जो वास्तव में लोक अभियोजक की एक रिपोर्ट है, जो इस बात की आवश्यकताओं को पूरा करता है कि लोक अभियोजक को उक्त अधिनियम की धारा 43 डी (2) (बी) के प्रावधान के अनुसार क्या करना आवश्यक है।

<u>लोक अभियोजक की रिपोर्ट होने वाले दस्तावेज़ का विश्लेषण:</u>

19. रोहतगी, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील हैं कि इस मुद्दे पर उसी दिन लोक अभियोजक द्वारा दायर दूसरा दस्तावेज को अधिक गहराई से देखे जाने पर, एक दूसरा दस्तावेज को वास्तव में, उक्त अधिनियम की धारा 43 डी के प्रावधानों के संदर्भ में लोक अभियोजक की रिपोर्ट होना पाया है। इस दस्तावेज़ पर करीब से नज़र डालने से पता चलता है कि महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व सहायक पुलिस आयुक्त, प्रभाग पुणे शहर स्वारगेट के माध्यम से किया जाता है। लेकिन विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार यह केवल प्रतिनिधित्व का विवरण है। दस्तावेज़ को आगे की जाँच के लिए नब्बे (90) दिनों की अवधि बढ़ाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 43 डी के तहत एक "आवेदन" भी माना जाता है और तथ्यों के पाठ से पहले "आवेदन" शब्द को फिर से दोहराया जाता है। तीसरा। आवेदन के पैरा 10 में तथ्यात्मक पहलू का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार हैः

" 10. यू. ए. पी. ए. अधिनियम, 1967 की धारा 43 (डी) (एस. आई. सी.) के प्रावधानों के अनुसार, यदि उक्त अधिनियम से संबंधित जांच 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है, तो जांच अधिकारी द्वारा आवेदन/रिपोर्ट दाखिल करने के बाद, 90 दिनों की उक्त अवधि को 180 दिनों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त अपराध की जांच जारी है।

कि जाँच अभी तक पूरी नहीं हुई है और इसलिए, निम्नलिखित पर 90 दिनों की और अवधि का विस्तार आधारः

आधार

ए। कि सभी आरोपी प्रतिबंधित संगठन के सक्रिय सदस्य हैं, संगठन अर्थात सी. पी. आई. (माओवादी) और उक्त संगठन की गैरकानूनी गतिविधियों का सीधा संबंध रखते हैं। जैसे सीपीआई (माओवादी)।

बी। कि, जाँच के दौरान, जब्त किए गए तैयार किए गए दस्तावेज़, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, सिम कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एफएसएल मुंबई को इसकी रिपोर्ट के लिए और मिरर

c. उक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निहित डेटा की छवि। कि एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार है। कि उक्त इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में एक विशाल डेटा है जिसका पता लगाने के लिए जांच करने की आवश्यकता है, इन गैरकानूनी गतिविधियों को न केवल महाराष्ट्र राज्य में, बल्कि अन्य राज्यों में भी और पूरे भारत में लागू करना।

D. कि यह भी जांच करना आवश्यक है कि धन कहाँ से आया अभियुक्त व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं जिनका उपयोग उक्त अभियुक्त द्वारा प्रतिबंधित व्यक्तियों की गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।

E. जांच के दौरान यह भी पता चलता है कि आरोपी उनकी आपराधिक साजिश के अनुसरण में दिल्ली, मुंबई में प्रतिबंधित संगठन की गैरकानूनी गतिविधियां, नागपुर, गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़। कि आगे की जाँच इस संदर्भ में अभी पूरा होना बाकी है।

F. कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों के बैंक खाते के विवरण के साथ–साथ उनके संबंधित खातों में उनके लेनदेन का पता लगाना आवश्यक है।

G. कि जाँच के दौरान अभियुक्त व्यक्तियों के मोबाइल फोन की जब्त की गई सी. डी. आर. रिपोर्ट के माध्यम से यह पता चलता है कि वे एक–दूसरे के साथ–साथ फरार और भूमिगत अभियुक्त व्यक्तियों के साथ संपर्क में हैं। उक्त संचार से संबंधित वह जांच (एस. आई. सी.) अभी तक पूरी नहीं हुई है।

H. कि जाँच के दौरान, यह पता चलता है और (एस. आई. सी.) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई के छात्रों को उनके द्वारा ले जाया गया था महेश राव को सुरक्षित और गुप्त रूप से वन क्षेत्रों में ले गया, माओवादी गुरिल्ला फरार भूमिगत नक्सलवादी से मिलने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए। इस संबंध में जांच जारी है।

I. कि अभियुक्त व्यक्तियों का अपना फेसबुक है खाते और ई–मेल है। उक्त फेसबुक खाते के साथ–साथ ई–मेल संचार के संबंध में वह जांच प्रगति पर चल रही है ।

J. कि आरोपी पी. वारा वारा राव की गिरफ्तारी के बाद, वर्नोन गोंजाल्विस और अरुम थॉमस परेरा के साथ–साथ सुधा भारद्वाज और गौतम नौलखा ने नक्सलवादी सामग्री पर लिखा।

इन अभियुक्त व्यक्तियों से जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का रूप और जाँच दस्तावेजों की उक्त जब्ती से संबंधित है और एफएसएल में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड चल रहा है। के. कि सभी आरोपी व्यक्ति प्रतिबंधित के मास्टरमाइंड हैं भाकपा (माओवादी) का संगठन और इसमें शामिल पाए गए, करने

के इरादे से अवैध कार्य करना या एकता, अखंडता को खतरे में डालने के इरादे से सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करना, भारत की सुरक्षा और संप्रभुता। उस संबंध में जाँच उसी को पूरा किया जाना बाकी है।

1. जांच पूरी होने के बाद (एस. आई. सी.) की धारा 45 के तहत अनुमति गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अभियोजन प्राप्त करना आवश्यक है। सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध '। (हमारे द्वारा प्रदान किया गया जोर)

20. इस प्रकार, उपरोक्त अनुच्छेद में अभिकथन यह है कि आई. ओ. द्वारा आवेदन/रिपोर्ट दायर की गई थी कि आई. ओ. ने जांच पूरी करने के लिए और नब्बे (90) दिनों की अवधि बढ़ाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

21. एक बार फिर, उपरोक्त दस्तावेज़ के पैरा 13 में, ए. आई. ओ. द्वारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बारे में भी ऐसा ही दावा किया गया है।

22. हालाँकि, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि यह सार के बजाय प्रारूप का सवाल था। उनका तर्क था कि सीमित समय की अवधि को देखते हुए, आवेदन को तत्काल आधार पर पेश किया गया था और मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे तकनीकी रूप से नहीं बल्कि सार के रूप में देखा जाना चाहिए। तथ्य यह है कि लोक अभियोजक ने उसे विधिवत जोड़ा था, आवेदन के अंत में हस्ताक्षर, और यह तथ्य कि पहले के आवेदन से दूसरे आवेदन में परिवर्तन हुए थे, दर्शाता है, जैसा कि तर्क दिया गया है, कि लोक अभियोजक के दिमाग का उपयोग किया गया है, जो कि लोक अभियोजक द्वारा की जाने वाली रिपोर्ट का वास्तविक अनिवार्य कारण है।

23. हालाँकि, इस बात पर गंभीरता से विवाद नहीं किया जा सकता है कि लोक अभियोजक को बेहतर शब्द दिया जा सकता था या कि यदि अपीलार्थी ने कुछ समय पहले न्यायालय का दरवाजा खटखटाया होता, तो अधिक उपयुक्त। हालाँकि, कथित दुर्बलताओं को अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा कुछ अन्य तथ्यों, अर्थात जाँच की प्रगति का उल्लेख करके समझाने की कोशिश की जाती है। रिपोर्ट/आवेदन में जांच की प्रगति का उल्लेख है, जांच पत्र वास्तव में लोक अभियोजक को प्रस्तुत किए गए थे, दो अलग–अलग दस्तावेज दाखिल करने का तथ्य लोक अभियोजक द्वारा बुद्धि का प्रयोग का संकेत देते हुए, लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत किए गए बाद के दस्तावेज़ में अतिरिक्त आधारों का उल्लेख, आदि। यह अपीलार्थी का मामला है कि सम तिथि के पहले के आवेदन की जांच के बाद ही लोक अभियोजक ने एक आवेदन के रूप में रिपोर्ट दायर की थी।

24. हितेंद्र विष्णु ठाकुर और अन्य वि. महाराष्ट्र राज्य व अन्य के पक्षकारों के वकीलों के दोनों पक्षों द्वारा जिस महत्वपूर्ण निर्णय पर भरोसा किया गया है।

अभियुक्त को आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (इसके बाद 'टाडा' के रूप में संदर्भित) के तहत हिरासत में लिया गया था। टी. ए. डी. ए. को 1993 के संशोधन

अधिनियम No.43 द्वारा संशोधित किया गया था, जिसने अन्य बातों के साथ–साथ टी. ए. डी. ए. दाखिल करने का समय कम कर दिया। आरोप–पत्र एक वर्ष से 180 दिनों तक और धारा 20 (4) में एक नया खंड (बी. बी.) भी पेश किया गया, जिसमें लोक अभियोजक की रिपोर्ट पर जांच पूरी करने और चालान दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, जो जांच की प्रगति और नामित अदालत द्वारा हिरासत में रखने के विशिष्ट कारणों का संकेत देता है, हालांकि, एक वर्ष की अधिकतम अनिवार्य हिरासत के अधीन। इस प्रकार, इस मामले और हमारे समक्ष मामले के बीच का अंतर केवल इस मामले और उक्त अधिनियम की अवधि में है, जांच पूरी करने के उद्देश्य से न्यायिक हिरासत के लिए संबंधित अवधि 90 + 90 दिन है।

25. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि लोक अभियोजक की रिपोर्ट से संबंधित तथ्य उस में क्या थे मामला और वर्तमान मामला अलग हैं। इस ओर से, उन्होंने हमारा ध्यान निर्णय के पैरा 73 पर आकृष्ट कराया, जहाँ आवेदन को पुनः प्रस्तुत किया गया था। आवेदन आई. ओ. के शपथ पत्र के रूप में था। आवेदन के निचले भाग में, यह दिखाया गया कि आई. ओ. द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन लोक अभियोजक द्वारा समर्थन के साथ कि यह था

उसके सामने पहचाना गया। यह पाया गया कि नामित अदालत ने गलती की थी

1 (1994) 4 एस. सी. सी. 602

2 (ऊपर)

आई. ओ. के आवेदन को लोक अभियोजक की रिपोर्ट के रूप में मानने में, जहां लोक अभियोजक ने केवल शपथ पत्र (आई. ओ.) के प्रतिनिधि की पहचान की थी और ऐसी पहचान, अकेले आवेदन को लोक अभियोजक की रिपोर्ट के रूप में माने जाने को उचित नहीं ठहरा सकता था। श्री रोहतगी द्वारा यह तर्क दिए जाने की मांग की गई थी कि दूसरी ओर, हमारे समक्ष मामले में, लोक अभियोजक के दिमाग का एक वास्तविक अनुप्रयोग हुआ था, जैसा कि विशेष न्यायालय के समक्ष दो अलग–अलग आवेदनों को प्रस्तुत करने और अन्य कारणों से देखा गया था।

26. दूसरी ओर, डॉ. ए. एम. सिंघवी ने ऊपर बताए गए तथ्यों पर भरोसा करने की कोशिश की, कि लोक अभियोजक द्वारा केवल हस्ताक्षर जोड़ना पर्याप्त नहीं होगा और वास्तव में पहले आई. ओ. द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ पर भी लोक अभियोजक द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार, निवेदन यह था कि लोक अभियोजक केवल उस बात का समर्थन कर रहा था जो आई. ओ. ने आवेदन में दी थी। इतना ही नहीं, विद्वान वरिष्ठ वकील ने निचली अदालत द्वारा पारित आदेश की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें तर्क दिया गया था कि निर्दिष्ट अदालत ने भी विचाराधीन दस्तावेज़ को आई. ओ. द्वारा प्रस्तुत की गई जांच की अवधि बढ़ाने के लिए एक आवेदन के रूप में माना है। इसके अलावा, यह भी

तर्क दिया गया कि जांच की अवधि बढ़ाने के लिए आईओ द्वारा दिए गए कारण वास्तविक नहीं प्रतीत होते हैं।

27. विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस बात पर जोर देने की कोशिश की कि अपीलार्थी हितेंद्र विष्णु ठाकुर के निर्णय में निर्धारित आवश्यकताओं से दूर नहीं जा सकते हैं, 3 एक दस्तावेज़ के लिए एक रिपोर्ट के रूप में माना जाना चाहिए

28. उपरोक्त पैराग्राफ के अवलोकन से पता चलता है कि इस न्यायालय द्वारा विधायिका पर जोर दिया गया था, अपने विवेक में, यह अदालत से समय बढ़ाने की मांग के लिए आवेदन करने के लिए आईओ पर नहीं छोड़ा गया था और इस प्रकार, जांच एजेंसी को पहली बार में लोक अभियोजक की जांच के लिए खुद को प्रस्तुत करने और जांच की प्रगति के बारे में उसे संतुष्ट करने और एक आरोपी की आगे हिरासत की मांग करने के लिए कारण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। अन्यथा, एक अभियुक्त को पुलिस की सनक पर, अनावश्यक रूप से लंबी जांच के दौरान, निरंतर हिरासत में रखा जा सकता है। इस न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि लोक अभियोजक जाँच एजेंसी का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण है और इस प्रकार, उम्मीद की जाती है कि वह जाँच एजेंसी के अनुरोध पर स्वतंत्र रूप से अपना बुद्धि लगाए, समय बढ़ाने के लिए अदालत को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले ताकि जाँच को सक्षम बनाया जा सके।

इस प्रकार, "वह केवल एक डाकघर या अग्रेषण एजेंसी नहीं है। एक लोक अभियोजक जांच अधिकारी द्वारा दिए गए कारणों से सहमत हो भी सकता है और नहीं भी। समय का विस्तार और यह पता चल सकता है कि जांच आगे नहीं बढ़ी थी

उचित तरीके से या जांच को पूरा करने में अनावश्यक, जानबूझकर या टालने योग्य देरी हुई है। उस स्थिति में, वह समय बढ़ाने का अनुरोध करने के लिए खंड (बीबी) के तहत अदालत को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकता है।

29. पैरा 23 में टिप्पणियों में यह भी कहा गया है कि लोक अभियोजक अपने अनुरोध के साथ आई. ओ. के अनुरोध को संलग्न कर सकता है। या आवेदन या रिपोर्ट, लेकिन उसकी रिपोर्ट को यह खुलासा करना चाहिए कि उसने अपना दिमाग लगाया है और जांच की प्रगति से संतुष्ट है और जांच को पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार और समय देने पर विचार किया है। यह रिपोर्ट केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है क्योंकि यह एक अभियुक्त की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। समय बढ़ाने के लिए आई. ओ. का अनुरोध लोक अभियोजक की रिपोर्ट का विकल्प नहीं है। हम देख सकते हैं कि यह बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि यह केवल उस प्रपत्र का प्रश्न नहीं है जिसमें विस्तार के लिए अनुरोध किया जाना है, बल्कि एक सार है, क्योंकि यह नामित न्यायालय को स्वतंत्र रूप से यह तय करने में सहायता करने के लिए है कि ऐसा विस्तार देना है या नहीं। यह केवल आई. ओ. के अनुरोध को प्रस्तुत करना और न्यायालय को अग्रेषित करना नहीं हो सकता है। दस्तावेज़ को केवल एक रिपोर्ट या एक आवेदन के रूप में लेबल करने के बारे में कहा गया था, लेकिन

जो परिणाम माना गया था वह यह था कि लोक अभियोजक द्वारा अपनी रिपोर्ट में आई. ओ. के आवेदन या अनुरोध का केवल पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था, बिना अपने मन के आवेदन के प्रदर्शन और अपनी संतुष्टि की रिकॉर्डिंग के।

30. विद्वान वरिष्ठ वकीलों श्री आनंद ग्रोवर और सुश्री इंदिरा जयसिंह ने उपरोक्त तर्क का समर्थन किया। एक संदर्भ

संजय कुमार केडिया उर्फ संजय केडिया बनाम मामले में भी फैसला सुनाया गया था। खुफिया अधिकारी, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो & Anr.4 31. जहां तक तथ्यों का संबंध है, आरोपी को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया था और 4 (2009) 17 एससीसी 631

180 दिनों की प्रारंभिक अवधि के लिए हिरासत में रखा गया था। कानूनी रूप से निर्धारित एक वर्ष की समाप्ति से ठीक पहले शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत दर्ज करने के बाद जमानत मांगने का आरोपी का प्रयास सफल नहीं हुआ और इसके बाद इस आधार पर हिरासत के प्रारंभिक विस्तार पर आरोप करने का प्रयास किया गया कि लोक अभियोजक की रिपोर्ट प्रासंगिक परीक्षण को पूरा नहीं करती है। उस समय भी अंततः उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त के पक्ष में फैसला सुनाया। यह राय देते हुए कि वह हितेंद्र विष्णु ठाकुर के फैसले पर भरोसा करते हुए "डिफ़ॉल्ट जमानत" के हकदार होंगे।

32. संजय केडिया के फैसले पर भरोसा करने के लिए एक और याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि "बाध्यकारी कारणों" की आवश्यकता है। 180 दिनों से अधिक समय बढ़ाने के लिए खुलासा किया जाएगा और वर्तमान मामले में इस तरह के किसी भी ठोस कारण का खुलासा नहीं किया गया है।

33. तथ्यों के पाठ को पूरा करने के लिए, हम इस स्तर पर ध्यान दे सकते हैं कि वर्तमान मामले में आरोप पत्र दिनांक 15.11.2018 , 90 दिनों की विस्तारित अवधि के भीतर दायर किया गया था और इस प्रकार, यह विकल्प है प्रत्यर्थियों को सक्षम अदालत से जमानत लेनी चाहिए; लेकिन फिर प्रत्यर्थियों के वकील का तर्क इन तथ्यों पर आधारित था कि यदि प्रत्यर्थियों को डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार है, तो उन्हें आरोप पत्र दाखिल करने के बाद नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की कठोरता से गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

34. हमने विचाराधीन विवाद पर अपना गहरा विचार दिया है।

35. इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोक अभियोजक की रिपोर्ट/आवेदन, जांच पूरी करने के लिए नब्बे (90) दिनों की हिरासत बढ़ाने के कारणों को निर्धारित करते हुए कुछ वांछित छोड़ देता है। द. ट्रायल कोर्ट के समक्ष रखा गया पहला दस्तावेज़ आई. ओ. द्वारा दायर एक आवेदन/रिपोर्ट था, हालांकि इसमें लोक अभियोजक के हस्ताक्षर भी बताए गए हैं। दूसरा दस्तावेज़, जिसे लोक अभियोजक की रिपोर्ट माना जाता है, भी एक आवेदन के रूप में दायर किया गया है। इस बात को दोहराया जा रहा है कि आई.

ओ. अदालत का रुख कर रहा है। दूसरे दस्तावेज़ के पैरा 10 में फिर से उल्लेख किया गया है कि जाँच प्राधिकरण ने उसमें निर्धारित आधारों पर नब्बे (90) दिनों की और अवधि बढ़ाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था और ऐसा प्रतीत होता है कि निचली अदालत ने भी विचाराधीन दस्तावेज़ को आई. ओ. द्वारा दायर एक आवेदन के रूप में माना था। जनता द्वारा उचित समर्थन के रूप में स्पष्टता

3 (ऊपर)

" (ऊपर)

महाराष्ट्र राज्य बनाम। सुरेंद्र पुंडलिक गैडलिंग और ओआरएस। [संजय किशन कौल, जे।]

अभियोजक ने कहा कि उसने पहले के दस्तावेज़ में आधारों का अवलोकन किया था आई. ओ. द्वारा प्रस्तुत किया गया और इस प्रकार, संतुष्ट था कि जांच को पूरा करने के लिए समय बढ़ाने के लिए एक मामला बनाया गया था, जिससे इस तरह के विवाद को दूर किया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।

36. तथापि, हम देख सकते हैं कि जहाँ तक इसका अस्तित्व है, इस तरह के विस्तार के कारणों में, हमने पाया है कि वे उपरोक्त निकाले गए विस्तृत आधारों में मौजूद हैं। प्रथम दस्तावेज, जिसे आई. ओ. का आवेदन माना जाता है, में जांच की इस तरह की विस्तारित अवधि के कारण शामिल हैं, लेकिन दूसरे दस्तावेज में विवरण दिया गया है कि आधार विस्तार में और केवल पहले दस्तावेज़ में जो कहा गया है उसका केवल पुनरावृत्ति नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि लोक अभियोजक द्वारा विवेक का पूर्ण अभाव रहा है।

37. विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्क में योग्यता है, अपीलार्थी/कथन के लिए कि प्रश्न रूप से अधिक सार का है, एक ऐसे पहलू जिस पर हितेंद्र विष्णु ठाकुर के मामले में भी जोर दिया गया है, जिस पर दोनों पक्षों के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया है। आवेदन के रूप में दूसरा दस्तावेज उसी दिन दाखिल किया गया है। ऐसा नहीं है कि पहला दस्तावेज़, जो आई. ओ. का एक आवेदन है, दूसरा दस्तावेज़ दाखिल करने के लिए वापस ले लिया गया था, जो लोक अभियोजक की रिपोर्ट होने का तात्पर्य है। यह पहले दस्तावेज़ के विश्लेषण पर है कि दूसरा दस्तावेज़ दायर किया गया है, हालांकि दोनों में लोक अभियोजक का समर्थन है। दूसरे आवेदन में जांच की प्रगति का उल्लेख करते हुए अभिकथन हैं और हमारे सामने प्रत्युत्तर में स्पष्ट किया गया है कि लोक अभियोजक को इसका लाभ मिला था, इन पत्रों की जांच करना। दूसरे दस्तावेज़ में अतिरिक्त और विस्तारित आधार दिए गए हैं।

38. श्री मुकल रोहतगी, विद्वान वरिष्ठ वकील अपीलार्थी/राज्य ने उचित रूप से तर्क दिया है कि एक भौतिक अंतर है, वर्तमान मामले के तथ्यों और हितेंद्र विष्णु ठाकुर मामले के तथ्यों में, क्योंकि उस मामले में आवेदन आई. ओ. के एक हलफनामे के रूप में था, जिसके हस्ताक्षर लोक अभियोजक के समर्थन से पहचाने गए थे। उन परिस्थितियों में यह माना गया था कि लोक अभियोजक द्वारा शपथपत्र के

प्रतिनिधि की मात्र पहचान आवेदन को लोक अभियोजक की रिपोर्ट के रूप में माने जाने को उचित नहीं ठहरा सकती है। वर्तमान मामले में, दूसरे दस्तावेज़ में एक स्पष्ट विवरण है –

उसमें किए गए अभिकथनों के समर्थन में लोक अभियोजक का समर्थन।

7 (ऊपर) 8 3 (ऊपर)

39. निस्संदेह, हितेंद्र विष्णु ठाकुर के मामले के पैरा 23 में, इस न्यायालय ने लोक अभियोजक द्वारा जांच के महत्व पर जोर दिया। ताकि बंदी को पुलिस प्राधिकरण होने के नाते केवल आई. ओ. के हाथों में न छोड़ दिया जाए । इस प्रकार, लोक अभियोजक के पास समय बढ़ाने की मांग के लिए आई. ओ. द्वारा दिए गए कारणों से सहमत या असहमत होने का विकल्प होता है, लेकिन वर्तमान मामले के तथ्यों में, आवेदन के रूप में दूसरा दस्तावेज पहले दस्तावेज की जांच दिखाता है और उसके बाद जांच को पूरा करने के लिए और समय की आवश्यकता के आधार और विस्तारित कारणों का विवरण देता है।

40. निस्संदेह समय बढ़ाने के लिए एक आई. ओ. का अनुरोध लोक अभियोजक की रिपोर्ट का विकल्प नहीं है, लेकिन चूंकि हम पाते हैं कि दो दस्तावेजों की तुलना के अनुसार, लोक अभियोजक द्वारा विवेक का उपयोग किया गया है और साथ ही उसके द्वारा समर्थन किया गया है, इसलिए प्रपत्र में दुर्बलताओं को उत्तरदाताओं को डिफ़ॉल्ट जमानत का लाभ नहीं मिलना चाहिए, जब वास्तव में समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया हो। विस्तृत आधार निश्चित रूप से "उचित कारणों" की श्रेणी में आते हैं जैसा कि संजय केडिया 1 मामले में स्पष्ट किया गया है।

41. इस प्रकार, हम बंबई उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों से सहमत होने के लिए खुद को राजी करने में सक्षम नहीं हैं कि आक्षेपित आदेश और अभिनिर्धारित करें कि प्रतिवादी डिफ़ॉल्ट जमानत के लाभ के हकदार नहीं होंगे । और परिणामस्वरूप आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाता है।

42. हालाँकि, हम स्पष्ट कर सकते हैं कि चूंकि आरोप पत्र दायर किया गया है, इसलिए हमारे द्वारा यहाँ की गई कोई भी टिप्पणी, किसी भी तरह से, प्रतिवादी के मुकदमे से नियमित जमानत लेने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी। न्यायालय, यदि ऐसी सलाह दी जाती है, जिसका निर्णय निचली अदालत द्वारा अपने गुण–दोष के आधार पर किया जाएगा।

43. अपील की अनुमति दी जाती है और उभयपक्ष अपना खर्च वहन करेंगे ।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

(ऊपर)

10 (ऊपर)

Translated/Validated/Corrected by
CG STATE JUDICIAL ACADEMY, BILASPUR